न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचोर

पीठाशिन अधिकारीः— हनुमाना राम आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—20/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. दीपाराम पुत्र धुड़ाराम जाति विश्नोई निवासी रिडिया धोरा तहसील चितलवाना		1. केवदा पुत्र पुनिया 2. गलबा पुत्र अमरा 3. गोबरा पुत्र भावला 4. बाबु पुत्र भावला 5 भादा पुत्र भावला 6 जोराराम पुत्र पुनीया 7 पनाराम पुत्र पुनीया 8 लाखाराम पुत्र पुनीया 9 वरदा पुत्र अमरा 10 शंकरलाल पुत्र पुनीया 11 हरीराम पुत्र पुनीया जातियान मेंगवशीं निवासीगण रिडिया धोरा 12 तुलछी देवी पत्नि धुड़ाराम 13 भगवती देवी पत्नि मिसरीमल 14 समदादेवी पत्नि हीराराम 15 परमेश्वरीदेवी पत्नि किशनलाल जातियान विश्नोई निवासीगण रिडिया धोरा 16 मांगीदेवी पत्नि उदाराम (फौत) के कायम मुकाम (अ) जगदीश पुत्र उदाराम 17 व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा — झाब 18 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चितलवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 04/08/2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी खेत मौजा रिडिया धोरा में खसरा संख्या 138 रकबा 0.664 [illegible] जिसमें आवागमन हेतू कोई रास्ता नहीं होने से रास्ता की अत्यंत आवश्कता है अतः [illegible] धोरा के खसरा संख्या 115 रकबा 0.70 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.033 हेक्टर [illegible] 113 रकबा 1.25 किस्म बारानी प्रथम में से 0.038 हैक्टर खसरा संख्या 107 रकबा [illegible] हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.008 हैक्टर खसरा संख्या 1090/105 रकबा 0.0204 है[illegible] खसरा संख्या 1052/1[illegible] रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.06 हैक्टर खसरा संख्या 1087/104 रकबा 0.02[illegible] हैक्टर खसरा संख्या 125 रकबा 0.19 हैक्टर में से 0.022 हैक्टर खसरा संख्या 124 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0. 15 हैक्टर खसरा संख्या 128 रकबा 0.06 हैक्टर में से 0.018 हैक्टर खसरा संख्या 129 रकबा 0.57 हैक्टर में से 0.144 हैक्टर खसरा संख्या 1089/135 रकबा 0.030 हैक्टर खसरा संख्या 1088/136 रकबा 0.054 हैक्टर खसरा संख्या 1086/137 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1085/138 रकबा 0.066 हैक्टर कुल 0.7254 हैक्टर भूमि चार मीटर चौड़े रास्ते की निकटतम है इसके अलावा खेत में काश्त करने में आने जाने का निकटतम कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4, 12, 13, 14, 15 एवं 16 ने इकबाली जवाब पेश कर प्रकरण के अवतरण संख्या 01 को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि मौके पर बहामी व भौतिक तौर से किए गए बंटवाड़े में हमारे बंट , कब्जे , हिस्से में आई हुई है तथा हम अप्रार्थीगण ही खातेबाड़ी करते आ रहे है । जिससे उक्त तमाम खसरा नम्बरान की भूमि में से 4 मीटर चौड़े रास्ता मूल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे अनुसार लाल स्याही से दर्शित स्थान से राजस्व रिकोर्ड में हमारे बंट व हिस्से की भूमि में से रास्ता प्रार्थी को दिया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कि जाती है तो हमें कोई उजर एतराज नहीं है । रास्ता भूमि बाबत प्रतिकर राशि हम अप्रार्थीगण को मिल चुकी है प्रतिकर राशि बाबत कोइ उजर एतराज हम अप्रार्थीगण को नहीं है व न ही रहेगा ।

अप्रार्थीगण संख्या 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नजदीकी एवं सुविधाजनक का रास्ता खसरा संख्या 142 एवं 139 में से होकर है न की अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 107 ,113, व 115 में से प्रार्थी नजदीकी रूट से रास्ता की मांग न कर हम अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के लिए हमारे खेतो में से रास्ता की गलत एवं विधि विरूद्व मांग की है इस कारण प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है ।

तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2021 का अवलोकन किया गया जिस अनुसार खसरा संख्या 115 रकबा 0.70 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.0320 हैक्टर खसरा संख्या 113 रकबा 1.25 किस्म बारानी प्रथम में से 0.0368 हैक्टर खसरा संख्या 107 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.0048 हैक्टर खसरा संख्या 1090/105 रकबा 0.0204 हैक्टर खसरा संख्या 1052/105 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.06 हैक्टर खसरा संख्या 1087/104 रकबा 0.022 हैक्टर खसरा संख्या 125 रकबा 0.19 हैक्टर में से 0.0232 हैक्टर खसरा संख्या 124 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.04 हैक्टर खसरा संख्या 128 रकबा 0.06 हैक्टर में से 0.0048 हैक्टर खसरा संख्या 129 रकबा 0.57 हैक्टर में से 0.0380 हैक्टर खसरा संख्या 1089/135 रकबा 0.030 हैक्टर खसरा संख्या 1088/136 रकबा 0.054 हैक्टर खसरा संख्या 1086/137 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.4262 हैक्टर कुल लम्बाई 939 मीटर जो नक्शे में बिन्दु ''ए'' से '' जी '' नीले स्केच से प्रदर्शित किया गया है । तथा उक्त खसरान में से खसरा संख्या 1090/105, 1052/105, 1087/104, 1089/135, 1088/136 एवं 1086/137 भूमि राजकिय खाते में सिवाय चक दर्ज है तथा मौके पर खाली तथा रास्ता प्रयोजनार्थ उपयोग में आने का उल्लेख किया गया है । साथ प्रार्थी के खेत में जाने वाला रास्ता सड़क से खसरा संख्या 142 एव 139 से जुड़ना का उल्लेख किया गया है जिसकी लम्बाई 432 मीटर तथा रास्ते में उपयोग होने वाला रकबा 0.1728 हैक्टर होने का का अकंन किया गया है । जिसे नक्शे में बिन्दु ''एक्स'' से '' वाई'' नीले स्केच से प्रदर्शित किया गया है ।

पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण संख्या 05, 17 एवं 18 नोटिस बाद तामिल एवं बार बार अवसर देने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा अपने खेत खातेदारी [illegible] खसरा संख्या 138 रकबा 0.664 रास्ता नहीं होने से 115 ,113 , 107 , 1090/105 , 1052/105 , 1087/104 , 125 , 124 , 128 , 129 , 1089/135 , 1088/136 , 1086/137 मौका रिपोर्ट अनुसार कुल दुरी 939 मीटर तथा कुल रकबा 0.4262 हैक्टर होता है जिसमे से खसरा संख्या 1090/105 , 1052/105 , 1087/104, 1089/135 , 1088/136 , 1086/137 राजकीय सिवायचक है तथा मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग हो रहा है । जिसको अप्रार्थीगण संख्या 2, 4, 12, 13, 14, 15 एवं 16 ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता दिया जाता है तो हमें कोई उजर ऐतराज नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 ने अपने जवाब में एतराज

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

जताया कर प्रार्थी के नजदीक रूट खसरा संख्या 142 एव 139 से जुड़ना का उल्लेख किया गया है ।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया। उक्त अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 115, 113 एवं 107 है जिसकी कुल लम्बाई 184 मीटर होती तथा अप्रार्थीगण के उल्लेखित किये गये खसरा संख्या 139 एवं 142 की कुल लम्बाई 432 मीटर होती है । तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये शेष अन्य खसरो के खातेदारो को रास्ता बाबत कोई उजर एतराज नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत होने स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया जाता है कि मौजा रिडिया धोरा के खसरा संख्या खसरा संख्या 115 रकबा 0.70 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.0320 हैक्टर खसरा संख्या 113 रकबा 1.25 किस्म बारानी प्रथम में से 0.0368 हैक्टर खसरा संख्या 107 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.0048 हैक्टर खसरा संख्या 125 रकबा 0.19 हैक्टर में से 0.0232 हैक्टर खसरा संख्या 124 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.04 हैक्टर खसरा संख्या 128 रकबा 0.06 हैक्टर में से 0.0048 हैक्टर खसरा संख्या 129 रकबा 0.57 हैक्टर में से 0.0380 हैक्टर निर्वापित की जाकर राजस्व रिकोर्ड में सलंग्न नक्शा अनुसार राजहक में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें तथा खसरा संख्या 115 के रकबा 0.320 हैक्टर खसरा संख्या 113 के रकबा 0.368 हैक्टर एवं खसरा संख्या 107 रकबा 0.0048 हैक्टर भूमि डी एल सी दर कीमत का दो गुणा प्रतिफल उक्त खातेदार के नाम प्रार्थी से डी डी या बैंकर चैक प्राप्त कर उक्त खसरो के अप्रार्थीगण को भूगतान करे । राजकीय सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 1090/105, 1052/105, 1087/104, 1089/135, 1088/136, 1086/137 की रास्ता प्रयोजनार्थ कट रही भूमि का डी एल सी दर कीमत का दो गुणा प्रतिफल राजकोष जमा करावें । उक्त भमि रास्ता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ काम में न ली जावे। तथा उक्त रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार के आवागमन में बाधा नही करें व न किसी अन्य से करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु भेजी जावे। पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करें।

(हनुमाना राम)
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 04/08/2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर
(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– 20/2021

प्रार्थी
दीपाराम पुत्र धुड़ाराम
जाति विश्नोई निवासी रिड़ियाधोरा
तहसील चितलवाना

बनाम

अप्रार्थीगण
1. केवदा पुत्र पुनिया
2. गलबा पुत्र अमरा
3. गोबरा पुत्र भावला
4. बाबु पुत्र भावला
5. मादा पुत्र भावला
6. जोराराम पुत्र पुनीया
7. पनाराम पुत्र पुनीया
8. लाखाराम पुत्र पुनीया
9. वरदा पुत्र अमरा
10. शंकराराम पुत्र पुनीया
11. हरीराम पुत्र पुनीया
    जातियान मेगवंशी निवासीगण रिड़ियाधोरा
12. तुलछी देवी पत्नी धुड़ाराम
13. भगवतीदेवी पत्नि मिसरीमल
14. रमदादेवी पत्नि हीराराम
15. परमेश्वरीदेवी पत्नि किशनलाल
    जातियान विश्नोई निवासीगण रिड़ियाधोरा
16. मांगीदेवी पत्नी उदाराम (फौत) के कायम मुकाम (अ) जगदीश पुत्र उदाराम
17. व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा झाब
18. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955
अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. के तहत

संशोधित निर्णय

दिनांक 06/09/2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय [illegible] पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 के पेज संख्या 3 के अं[illegible] [illegible] 115 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम [illegible] 0.0320 हैक्टर, [illegible] संख्या 113 रकबा 1.25 हैक्टर मे से 0.0368 हैक्टर, खसरा संख्या 107 [illegible] 1.72 हैक्टर मे से 0.0048 हैक्टर के खातेदार को डी एल सी दर की दुगु[illegible] किमत का प्रतिफल भूगतान हेतु आदेश किया गया था, जबकि उक्त रास्ता प्रयोजनार्थ कट रही भूमि के बदले अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रतिफल प्राप्त कर ली है.। अतः प्रार्थी एक गरीब काश्तकार होने से दुबारा डी.एल.सी. की दुगुनी राशि का भुगतान करने हेतु सक्षम नही है, अतः उक्त निर्णय रिव्यू किया जाकर संशोधित फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रकरण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त होने का उल्लेख किया है तथा उक्त खसरा संख्या की भूमि का हिस्सा रास्ता प्रयोजनार्थ हेतु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई उजर एतराज नही है

अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 के पेज संख्या 3 के अंतिम पैरा(मूल निर्णय) को संशोधित करते हुए खसरा संख्या 115 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे से 0.0320 हैक्टर कुल, खसरा संख्या 113 रकबा 1.25 हैक्टर मे से 0.0368 हैक्टर, खसरा संख्या 107 रकबा 1.72 हैक्टर मे से 0.0048 हैक्टर उक्त भूमि के बदले मे अप्रार्थीगण के प्रतिफल राशि प्रदान करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से ही प्रतिफल राशि प्राप्त होना जाहिर किया गया है। अतः निर्णय दिनांक 04.08.2023 के अंतिम पैरा में उक्त राशि भुगतान बाबत निर्णय संशोधित किया जाता है। इस उक्त खसरा संख्या में रास्ता प्रयोजनार्थ बाबत अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के प्रतिफल भुगतान नही किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 के पेज संख्या 3 के अंतिम पैरा(मूल निर्णय) मे खसरा संख्या 1090/105 रकबा 0.0204 हैक्टर, खसरा संख्या 1052/105 रकबा 0.50 हैक्टर में से 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 1087/104 रकबा 0.0222 हैक्टर, खसरा संख्या 1089/135 रकबा 0.03, खसरा संख्या 1088/136 रकबा 0.0540 हैक्टर, खसरा संख्या 1086/137 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि जमाबन्दी में खाता संख्या 1 में सिवायचक के रूप में दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उक्त खसरा संख्या की भूमि खातेदारों द्वारा रास्ता प्रयोजनार्थ राजहक में निशुल्क समर्पित की है। अतः उक्त भूमि के बदले प्रतिफल राशि भुगतान करने में प्रार्थी एक गरीब काश्तकार होने के कारण सक्षम नही है।

अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 के पेज संख्या 3 के अंतिम पैरा(मूल निर्णय) को संशोधित करते हुए खसरा संख्या 1090/105 रकबा 0.0204 हैक्टर, खसरा संख्या 1052/105 रकबा 0.50 हैक्टर में से 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 1087/104 रकबा 0.0222 हैक्टर, खसरा संख्या 1089/135 रकबा 0.03, खसरा संख्या 1088/136 रकबा 0.0540 हैक्टर, खसरा संख्या 1086/137 रकबा 0.06 हैक्टर उक्त भूमि के बदले मे अप्रार्थीगण के प्रतिफल राशि प्रदान करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि उक्त खसरान भूमि के खातेदारों द्वारा रास्ता हेतु राजहक में निशुल्क समर्पित करना जाहिर किया गया है। अतः निर्णय दिनांक 04.08.2023 के अंतिम पैरा में उक्त राशि भुगतान बाबत निर्णय संशोधित किया जाता है। इस उक्त खसरा संख्या में रास्ता प्रयोजनार्थ बाबत अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के प्रतिफल भुगतान नही किया जावे। शेष निर्णय दिनांक 04.08.2023 यथावत रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमाना राम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 06/08/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर